

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक:-एफ.16() भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/09/

दिनांक :

संपरिवर्तन आदेश



शेखावाटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान, बाय जरिये श्री दिनेश कुमार रणवां पुत्र श्री नेमीचन्द जाति जाट सा. नरसा की ढाणी तन बूच्यासी पो0 बाय तहसील दांतारामगढ़ के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	शेखावाटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान, बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार रणवां पुत्र श्री नेमीचन्द जाति जाट सा. नरसा की ढाणी तन बूच्यासी पो0 बाय तहसील दांतारामगढ़
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	:	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम बाय ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ़
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	:	ख0न0 822/2 रकबा 0.32 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	:	ख0न0 822/2 रकबा 0.32 है0 अर्थात् 3200 वर्गमीटर सम्पूर्ण
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	:	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	रुपये 5.00 प्रति वर्गमीटर की दर से 3200 वर्गमीटर के 16,000/रु.
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	चालान नं. 460 दिनांक 17.12.08 राशि रुपये 16,000/-
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	:	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

Signature

Signature

Signature

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वर्णित सड़कों में सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी एवं बिल्डिंग लाईन हेतु निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात ही संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
3. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों के निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही निर्माण कराया जा सकेगा एवं नक्शा नियम 9(2) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पास करवाना होगा।
4. ठोस कचरा प्रबन्धन की व्यवस्था प्रार्थी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
5. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
6. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6 (6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 के अनुसार नक्शा पास होने से पूर्व निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
7. संपरिवर्तित भूमि का विक्रय/अन्तरण नियम 11 के अनुसार बिना प्राधिकृत अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।
8. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहृत हो जायेगा।
9. शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिए खुला रखना होगा।

64
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर)

क्रमांक:-एफ.16(1)भू.रू/ग्रामीण/राजस्व/09/ 2506-14 दिनांक:- 02-07-09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
5. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को नक्शा ट्रेस की प्रति सहित।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत, बाय पं.स. दांतारामगढ़
7. शेखावाटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान, बाय जरिये श्री दिनेश कुमार रणवां पुत्र श्री नेमीचन्द जाति जाट सा. नरसा की ढाणी तन बूच्यासी पो0 बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
8. रक्षी पत्रावली

दिनेश कुमार

इस दस्तावेज में 3 पृष्ठ हैं
पहले पृष्ठ संख्या 2 है।

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर)

उप-प्रमुख
दांतारामगढ़

Linesh Kumar

की दिनेश कुमार
पुनर्निर्माण जार
ने निष्पादित स्थावर विरा और प्र (रद ह्वा)
की प्राप्त की (गिरिपर विरा) (रद ह्वा) (रद ह्वा)
पदाधिकारी व्यापकत रूप से (रद ह्वा) (रद ह्वा)
बनता है।

[illegible]

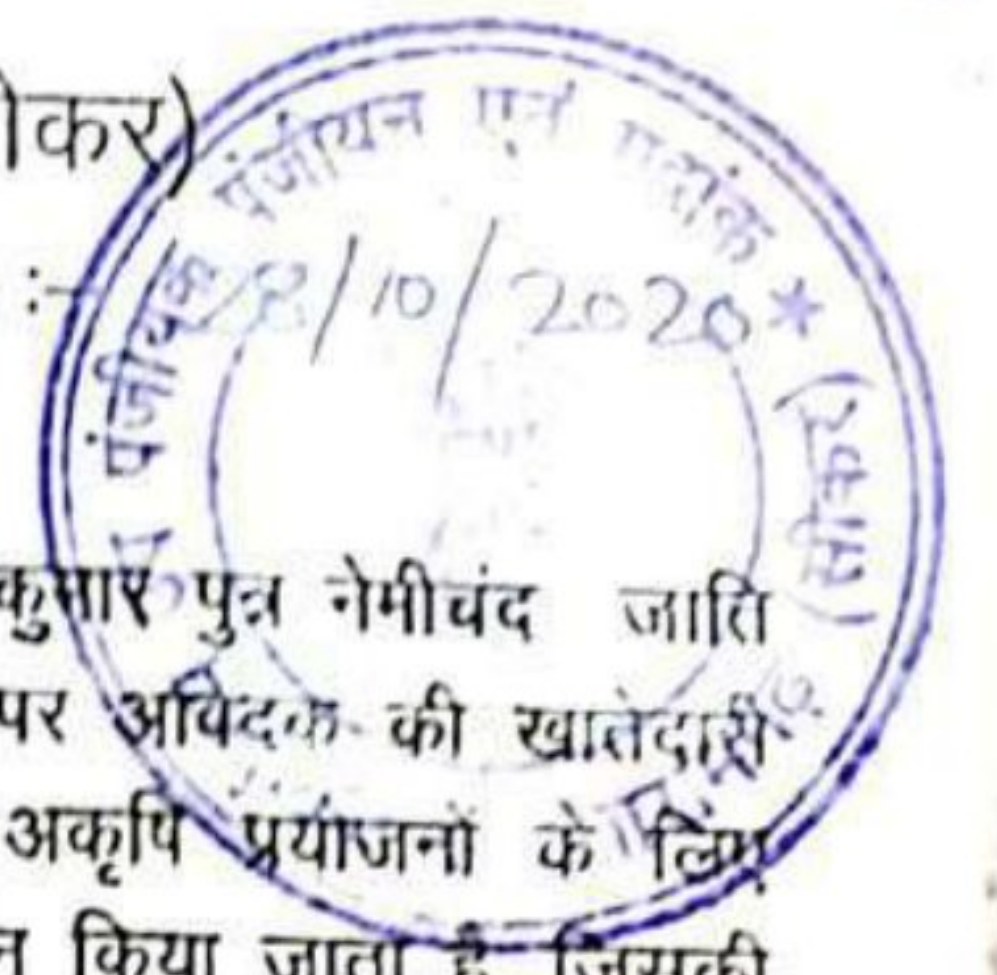
२३वीं

② सुमानसिंह S/O मदन काका उम्र 21 वर्ष
पक्षा. मजदुरी आदि. जाट नि. सोपल कावादा

18/09/09

इस दस्तावेज में 3 पृष्ठ हैं।
यह पृष्ठ सं. 34 है।

उप-पंजियक
क्षार/पगद

**-:संपरिवर्तन आदेश:-**

आवेदक/प्रार्थी शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम बाय ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ (सीकर)			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. 2027/726 रकबा 0.500 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.500 है. किस्म गै0मु0 बाराणी मे से 0.500 है0 यानि 500 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	कुल रकबा	संपरिवर्तित रकबा	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर)
		2027/726	0.500 है0	0.500 है0	500 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेस में संपरिवर्तन रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	संदेय प्रीमियम की दर	5.00 रु0 प्रति व.मी.			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 903 दिनांक 07.10.2020 से रु. 2500/- जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1 इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सड़क/रास्ते/रेलवे की सीमा भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुऐ।			

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)

उप पंजीयक
दांतारामगढ (सीकर)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
3. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
5. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
7. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
10. सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
11. रूपान्तरित भूमि में हरे पेड़ काटे जाने पर 500 रु प्रति पेड़ जुर्माना राशि जमा करवायी जानी होगी और एक पेड़ काटे जाने पर 3 पेड़ लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
12. सुविधा एवं सड़कों आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि का सांस्थानिक उपयोग किया जा सकेगा।



प्राधिकृत अधिकारी

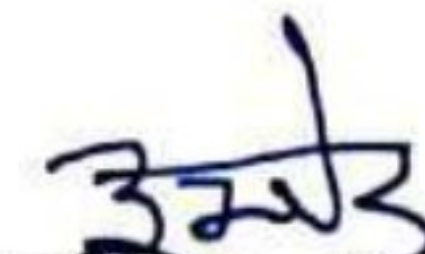
(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)
दांतारामगढ़ (सीकर)

क्रमांक/भू.रू./2020/राजस्व/ 442-47

दिनांक :- 28/10/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
2. तहसीलदार, दांतारामगढ़।
3. उप पंजीयक दांतारामगढ़।
4. पटवारी हल्का, बाय को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरण की कार्यवाही करें।
5. शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. रक्षित पत्रावली



प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)

संपरिवर्तन आदेश:-

आवेदक/प्रार्थी शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित आबादी भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम बाय ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ (सीकर)			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. 1764/724 रकबा 0.20 है०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.0739 है. किस्म गै०मु० आबादी से 0.0739 है० यानि 739.26 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	कुल रकबा	संपरिवर्तित रकबा	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर)
		1764/724	0.20 है०	0.0739 है०	739.26 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेस में संपरिवर्तन रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	संदेय प्रीमियम की दर	क्रय राशी का 10 प्रतिशत			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 1325 दिनांक 20.09.2021 से रु. 50000/- जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1 इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सड़क/रास्ते/रेलवे की सीमा भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुए।			

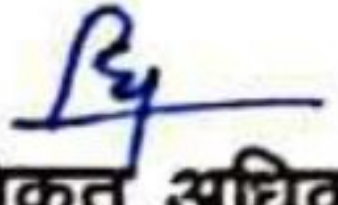
कृ.प.उ. 2

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)

उप पंजीयक
दांतारामगढ (सीकर)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
3. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
5. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
7. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
10. सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
11. रूपान्तरित भूमि में हरे पेड़ काटे जाने पर 500 रु प्रति पेड़ जुर्माना राशि जमा करवायी जानी होगी और एक पेड़ काटे जाने पर 3 पेड़ लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
12. सुविधा एवं सड़कों आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि का सांस्थानिक उपयोग किया जा सकेगा।


 प्राधिकृत अधिकारी
 (उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)
 दांतारामगढ़ (सीकर)

क्रमांक/भू.रू./2021/राजस्व/

दिनांक :- 12/10/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
2. तहसीलदार, दांतारामगढ़।
3. उप पंजीयक दांतारामगढ़।
4. पटवारी हल्का, बाय को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरण की कार्यवाही करें।
5. शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. रक्षित पत्रावली


 प्राधिकृत अधिकारी
 (उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)
 उपखण्ड अधिकारी
 दांतारामगढ़ (सीकर)

-संपरिवर्तन आदेश:-

आवेदक/प्रार्थी शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम बाय ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ (सीकर)			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. 2004/1839 रकबा 0.0321 है०, ख.न. 1842/823 रकबा 0.0214 है० एवं ख.न. 2008/2004 रकबा 0.0100 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.0635 है. किस्म गै०मु० बरानी से 0.0635 है० यानि 635 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	कुल रकबा	संपरिवर्तित रकबा	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर)
		2004/1839	0.0321 है०	0.0321 है०	635 वर्गमीटर
		1842/823	0.0214 है०	0.0214 है०	
		2008/2004	0.0100 है०	0.0100 है०	
	टिप्पणी:-(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेस में संपरिवर्तन रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	संदेय प्रीमियम की दर	5.00 रु० प्रति व.मी.			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 902 दिनांक 07.10.2020 से रु. 3175/- जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1 इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सडक/रास्ते/रेलवे की सीमा भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हूरे।			

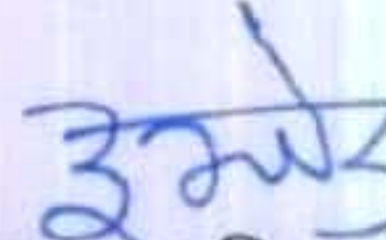
कृ.प.उ. 2

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)

उप पंजीयक
दांतारामगढ़ (सीकर)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
3. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
5. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
7. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
10. सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
11. रूपान्तरित भूमि में हरे पेड़ काटे जाने पर 500 रु प्रति पेड़ जुर्माना राशि जमा करवायी जानी होगी और एक पेड़ काटे जाने पर 3 पेड़ लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
12. सुविधा एवं सड़कों आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि का सांस्थानिक उपयोग किया जा सकेगा।

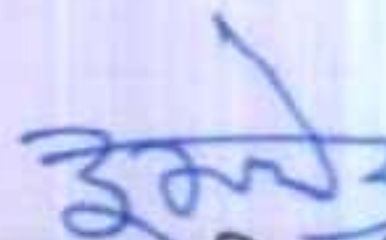

 प्राधिकृत अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 (उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)

क्रमांक/भू.रू./2020/राजस्व/ 442-46

दिनांक :- 28/10/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
2. तहसीलदार, दांतारामगढ़।
3. उप पंजीयक दांतारामगढ़।
4. पटवारी हल्का, बाय को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरण की कार्यवाही करें।
- ✓ 5. शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान बाय जरिये सचिव श्री दिनेश कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी नरसा की डाणी तन बुच्यासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. रक्षित पत्रावली


 प्राधिकृत अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 (उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)